

URL: <http://xgn.mp.nic.in/login.aspx>

Clear timelines of 45 Days for disposal of complete combined application under Water Act, 1974/Air Act, 1981/Hazardous waste rules, 2008 are notified through Board vide order dt 02/11/2015, which is available on the portal at url http://xgn.mp.nic.in/ViewDocs.aspx?File_Path=XGNEDB1

*** Notification/Circulars (12) ***

Notification/Circulars (12)	Consent Granting Procedure	Documents reqd for Application	Inspection Procedure
11/01/2016 - No Consecutive Inspection	2016	Today's Statistics	
11/01/2016 - IR Within 48 Hrs	Hospitals = 3542	Industries = 115, Tech = 45	
02/11/2015 - Disposal of ALL Application Within 45 Days	250 : M=1041 : L=528	Lab = 10, Hospitals = 8	
14/10/2015 - Order of Required Documents	: Haz=2987	Online Applications = 32	
29/05/2015 - Order of C.I.E Validity 5 years	e-Outwards = 82	[NOC=7 : CCA=25]	
29/05/2015 - Order of No Physical Record needed		e-Outwards = 0	
20/04/2015 - Order of Random Inspection		Consents GRT/REJ=1	
20/04/2015 - Order of exemption of Inspection of Green Industry	AMd	[GRT=1 : REJ=0 : AMD=0]	
20/04/2015 - Order of Self Certified Documents	07 e-PAI	Water Cess e-Return = 0	
20/04/2015 - Order of Common Inspection	mples = 376	Inspections = 0	
10/04/2015 - Notification of Category of Industries	0, Revocations = 0	Samples = 0	
14/10/2014 - Extended Renewals of 10/15 years for Orange & Green Catg			

Copyright 2014 Office Copyright Group. All rights reserved. Hits : 1962698

All the relevant notifications & circulars are available on the home page of the website

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 5548

/स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल, दिनांक 2-11-15

-: कार्यालय आदेश :-


बोर्ड द्वारा ऑनलाईन पद्धति से सिंगल विन्डो प्रणाली से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमा पार परिचालन) नियम 2008 के अन्तर्गत कॉमन एकीकृत आवेदन पर जल, वायु एवं परिसंकटमय अपशिष्ट के अन्तर्गत अनुमति जारी की जाती है ।


बोर्ड के आदेश क्रमांक 2327 दिनांक 14/10/2014 एवं आदेश क्रमांक 2128 दिनांक 20/8/2015 द्वारा उक्त अनुमति/स्थापना सम्मति जारी करने की समय-सीमा 45 दिन की सीमा निर्धारित की गई है। उक्त समय-सीमा जल एवं वायु अधिनियम के उत्पादन सम्मति एवं सम्मति नवीनीकरण तथा खतरनाक अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार/प्राधिकार नवीनीकरण प्रकरणों हेतु भी लागू निर्धारित की जाती है ।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

पृ0क्रमांक 5549 /स्था/प्रनिबो/2015
प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 2 निज सचिव, अध्यक्ष/ म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
- 3 समस्त यूनिट हेड, तकनीकी शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 5 आईटी शाखा/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ति ।
- 6 गार्ड फाइल ।


(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव
भोपाल, दिनांक 2-11-15


(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव